न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी / अपीलार्थी

श्रीमती गैरीदेवी पत्नि स्व. नाहरसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी

1. श्री करणसिंह पुत्र स्व. नाहरसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री शैतानसिंह पुत्र स्व. श्री नाहरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. श्री नाहरसिंह, जाति- राजपूत के कायम मुकाम:-

3/1. श्रीमती ममता पत्नि लक्ष्मणसिंह जी, पुत्री खीमसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- संगीता टेक्सटाइल्स शोरुम, बैंगलोर रोड पोस्ट ऑफिस सिंधनुर, जिला- रायचुर (कनार्टक)

3/2. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- संगीता टेक्सटाइल्स शोरुम, बैंगलोर रोड पोस्ट ऑफिस सिंधनुर, जिला-रायचुर (कनार्टक)

4. श्रीमती तरुणा पुत्री नाहरसिंह जी पत्नि श्री पंकज गेहलोत, जाति-राजपूत, निवासी- राठौड़ लाईन, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रार्थना पत्र संख्या: 50/2016

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री कैलाशनामा, प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 (राजवीरसिंह) की ओर से
4. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रत्यर्थी संख्या- 4 की ओर से
5. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 10 अगस्त, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम की धारा- 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नामा उपस्थित हुये तथा प्रत्यर्थी संख्या- 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-5 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या-3/1 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुई। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, तहसील- शिवगंज के खसरा संख्या 183 रकबा 30 बीघा आई हुई है, जो अपीलार्थी के पति के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज थी। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 10.7.1978 को हो चुका है। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 के द्वारा उक्त कृषि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम से तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किया गया। अपीलार्थी गेरीदेवी उक्त श्री नाहरसिंह की पत्नि होने से श्री नाहरसिंह की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों ने श्री नाहरसिंह की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही किया। जबकि उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 4 के नाम से व प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के नाम से दर्ज करना चाहिये था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 11.7.1963 को निष्पादित किया था। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी ने उक्त वसीयतनामा भी राजस्व अधिकारियों को बताया था और राजस्व अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इस कारण से अपीलार्थी इस विश्वास में रही कि अपीलार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि में दर्ज हो गया है। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी सामाजिक रिति रिवाजों के कारण अपने घर पर ही रहकर अपने बच्चों का लालन पालन किया। अपीलार्थी ने दिनांक 12.9.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने जीवनकाल के दौरान सम्पति का वसीयतनामा करवाने की इच्छा जाहिर की तब अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को बताया कि उक्त भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही है, तब प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 12.9.2016 को आवेदन किया एवं नकल दिनांक 15.9.2016 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थी ने पुन: अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना किसी विलम्ब के जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी कम पढ़ी लिखी है व हस्ताक्षर करना ही जानती है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही (राज.)

अपीलार्थी को कानून की जानकारी नही है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का माकुल कारण रहा है। जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-3/2 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर किया गया जो बाद जांच सही रुप से दायर किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या-3 श्री लक्ष्मण पुत्र श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में लक्ष्मणसिंह के दर्ज हक हिस्से के संबंध में अप्रार्थी संख्या-3/2 के पक्ष में नामान्तरकरण होना कानूनन है। उक्त सम्पति स्वर्गीय श्री नाहरसिंह की स्वअर्जित सम्पति नही थी। उक्त कृषि भूमि पर श्री नाहरसिंह के साथ अप्रार्थी संख्या-3/1 व 3/2 के पति/पिता श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र नाहरसिंह जी भी साथ साथ खेती करतें थे। अप्रार्थी संख्या- 3/1 व 3/2 के पति/पिता ने उक्त कृषि भूमि में काफी धन खर्च कर व श्रम कर भूमि को उपजाउ बनाया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कभी काश्त नही की गई है एवं न ही अपीलार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा रहा है। उक्त सम्पति स्बर्गीय श्री नाहरसिंह की स्वअर्जित सम्पति नही थी। अपीलार्थी द्वारा जिस वसीयत का उल्लेख किया गया है उस वसीयत में उक्त कृषि भूमि का कोई वर्णन नही है तथा न ही श्री नाहरसिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि की कोई वसीयत निष्पादित की गई है। अपीलार्थी के पति फौज में कर्नल थे और फौज में नौकरी करने पर प्रत्येक फौजी युद्ध के समय अपनी सम्पति की वसीयत करके जाते थे वह वसीयत युद्ध से वापस लौटाने पर प्रभाव में नही रहती है। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह फौज की नौकरी से सेवानिवृत होकर घर आ गये थे और उनकी दिनांक 10.7.1978 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में व उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व अधिकारियों पर विश्वास किया जाने का अंकित कथन मनगंढत व गलत है, क्योंकि ''दिनांक 16.3.1994 को खतौनी 66, 787 व न्यायालय एसीईएम, सिरोही डिक्री दिनांक 08.12.1993 तथा नायब तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक 205 दिनांक 01.3.1994 के अनुपालना में दायर नामान्तरकरण सही पाया खसरा नम्बर 183 व 226 की डिक्री के अनुसार मौके पर कब्जे की तरमीम कर फसल करावें कब्जा कि पुष्ठि की'' के कथन के साथ तहसीलदार शिवगंज ने पुष्टि कर नामान्तरकरण दायर किया था जो सही एवं सत्य है। प्रत्यर्थी संख्या 3/2 के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी गेरीदेवी द्वारा दिनांक 30.8.2016 को जिला कलेक्टर, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र उक्त नामान्तरकरण के संबंध में पेश किया था जो अपीलार्थी गेरीदेवी को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 15.9.2016 को होने के कथन की असत्यता प्रकट करता है। अपीलार्थी गैरीदेवी द्वारा दिनांक 26.5.2015 को न्याय आपके द्वार शिविर में सहायक प्रभारी अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर सहायक प्रभारी अधिकारी, न्याय आपके द्वार अभियान शिविर, तहसील शिवगंज के आदेश संख्या:राजस्व/2015/90 दिनांक 26.5.2015 की पालना में राजस्व रेकर्ड में गैरीदेवी बेबा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही (राज.)

नाहरसिंह के स्थान पर गैरीदेवी धर्मपत्नि श्री नाहरसिंह दर्ज किया गया। यह कि दिनांक 29.6.2016 को प्रत्यर्थी राजवीरसिंह द्वारा न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को दिया जिसकी जानकारी भी अपीलार्थी गेरी देवी को थी। इस प्रकार, अपीलार्थी गैरीदेवी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में पूर्व से ही जानकारी होने के बावजूद भी अपील जानबूझ कर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी अपने पौत्र (प्रत्यर्थी संख्या 3/2) को उक्त कृषि भूमि नही देना चाहती है, इस कारण अपीलार्थी ने बदनियतिपूर्ण आशय से विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी संख्या 3/2 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2005 पेज 2795 व 2199 तथा ए.आई.आर. 2011 पेज 1199 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध 37 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है तथा इस विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही दर्शाया है, इस कारण से इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को कन्डोन नही किया जा सकता है। अत: प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता व प्रत्यर्थी संख्या- 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील पेश करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है, तो कोई आपत्ति नही है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव, तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 183 रकबा 30 बीघा किस्म बंजर भूमि के खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज की मृत्यु के बाद उक्त कृषि के संबंध में हल्का पटवारी, बड़गांव द्वारा प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 व प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1088 दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 12.9.2016 को हुई। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत की मृत्यु के बाद दर्ज उत्तराधिकार के नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी प्रार्थी अपीलार्थी को प्रारम्भ से रही हो। अप्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी ने जानबूझ कर बदनियति पूर्ण आशय से अपील विलम्ब से प्रस्तुत की हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है। विधिक दृष्टान्त

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आर.आर.सी. 1999 पेज 11 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि ''मियाद अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से।'' चूंकि प्रार्थी अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में पूर्व से कोई जानकारी नही थी तथा प्रार्थी अपीलार्थी ने जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। वैसे भी हक अधिकारों से संबंधित मामलों में विलम्ब के बिन्दु को आधार बनाकर किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्ति के अधिकारों से वंचित किया जाना उचित नही है। ऐसे मामलों में गुणावगुण पर ही निर्णय किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बड़गांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 के विरुद्ध प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

अपर जिला कलेक्टर
सिरोही (राज०)